झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 67(क) के निम्न परिच्छेद का प्रतिस्थापनः–धारा–67, उपधारा–(क) का संशोधन ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 67(क) के निम्न परिच्छेद का प्रतिस्थापनः–धारा–67, उपधारा–(क) में निम्न परिच्छेद "विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षकों एवं परिनियम द्वारा घोषित उनके समतुल्य अधिकारी की सेवानिवृति की तिथि इस अधिनियम के राज्य के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से वह होगी, जिस तिथि को वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवानिवृति की तिथि वह होगी, जिस तिथि को वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें।"

निम्न प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः–

"विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षकों एवं परिनियम द्वारा घोषित उनके समतुल्य अधिकारी की सेवानिवृति की तिथि इस अधिनियम के राज्य के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से वह होगी, जिस तिथि को वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवानिवृति की तिथि वह होगी, जिस तिथि को वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें।"

यह विधेयक झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 96—50—12—12—2012 ।